सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 26, सोमवार, शाके 1944-मई 16, 2022
Vaisakha 26, Monday , Saka 1944- May 16, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, मई 05, 2022

जी.एस.आर.19 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-I का संशोधन.- राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 से संलग्न अनुसूची-I में शीर्ष "**फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम**" और शीर्ष **कनिष्ठ पद** के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 18 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उसकी प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"

18(क) सहायक निदेशक, फार्मेसी	100% पदोन्नति द्वारा	अधीक्षक, फार्मेसी	बी.फार्मा. और स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	-

"

[सं. एफ. 1(2)डीओपी/ए-II/86]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
रामनिवास मेहता
संयुक्त शासन सचिव

DEPARTMENT OF PERSONNEL
A-Gr.II
NOTIFICATION
Jaipur, May 05, 2022

G.S.R.19 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Medical & Health Service Rules, 1963, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Medical & Health Service (Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule I.- In Schedule-I appended to the Rajasthan Medical & Health Service Rules, 1963, under sub-head **Junior Post of head Diploma Course in Pharmacy**, after the existing serial number 18 and entries thereto, the following new serial number 18(a) and entries thereto shall be added, namely:-

"

18(a) Assistant Director Pharmacy	100% by promotion	Superintendent Pharmacist	B.Pharma and having 5 years experience on the post mentioned in column number 3	-	-

"

[No. F. 1(2)DOP/A-II/86]
By order and in the name of the Governor,
RAM NIWAS MEHTA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.